Available online at http://www.nrjp.co.in

Journal of Management Science, Operations & Strategies (E-ISSN 2456-9305)
Vol. 3, Issue, 03. 102-108p, Dec. 2019

National Research & Journal Publication

Review Article

ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की सैद्धान्तिक व्याख्या

डॉ. सीमा मलिक
असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग
गोकुलदास हिन्दू गर्ल्स कॉलेज, मुरादाबाद

सारांश

इतिहास साक्षी है कि महिला सशक्तिकरण के कारण ही विश्व के विकसित देश विकास के सपने सकार कर पाये है। आज चुनौती इस बात कि है कि हम कैसे मिलजुलकर इन कम पढ़ी–लिखी व घर परिवार के दायरे में सिमटी महिलाओं को आर्थिक रूप से जोड़कर सशक्त बना सकेंगे। इसके लिए स्वयं सहायता समूह जैसे संस्थान सार्थक पहल का माध्यम बन सके। ताकि महिलाएँ इन संस्थाओं की मदद से अपनी छोटी–छोटी बचत से मिलजुलकर अपने हुनर के मुताबिक वस्तुओं व सेवाओं का निर्माण कर सके व उनकी बिक्री से आय अर्जित कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसके अतिरिक्त महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के साथ ही निर्णय होने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी भी अति आवश्यक है। यहाँ ग्रामीण शिक्षित

महिलाएँ एवं महिला जन प्रतिनिधियों सन्निकट अवस्थिति षहरी, बालिकाएँ, अध्यापिकाओं का भी यह कर्त्तव्य व दायित्व बन जाता है कि वे ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाये ताकि इन ग्रामीण महिलाओं के सर्वांगीण विकास और कल्याण के कार्यक्रमों का पूरी ताकत व इच्छाशक्ति के साथ निर्वहन कर सके। अंततः ग्रामीण आर्थिक महिला एक बेहद अमूल्य संसाधन है और गाँवो में महिलाओं के बीच बढ़ती हुई सशक्तिकरण प्रवृति स्वागत योग्य है।

मुख्य शब्दः ग्रामीण महिला, आर्थिक सशक्तिकरण, सैद्धान्तिक व्याख्या।

Copyright©2019, डॉ. सीमा मलिक *This is an open access article for the issue release and distributed under the NRJP Journals License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.*

प्रस्तावना

महिला सशक्तिकरण का संवाद सशक्तिकरण की सैद्धान्तिक व्याख्या से होना चाहिए जिसका सामान्य का संवाद महिलाओं की उन षक्तियों या क्षमताओं के निर्माण से है जिससे वे स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में आ आयें। इस व्याख्या में क्षमताओं की वृद्धि प्रमुख आग्रह है। यह क्षमता, प्रत्येक क्षेत्र में हो सकती है। सामान्य विश्लेश्ण में आर्थिक क्षमताओं की वृद्धि साफतौर पर नजर आने लगती है और इनके परिणामों को आसानी से नापा जा सकता है।

सशक्तिकरण के विमर्श में एक महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि सशक्तिकरण के कार्य में संलग्न कौन हो? इस बहस में यह आवश्यक है कि हम उन स्थितियों को भी रेखांकित करें जो महिला समूहों की कमजोर स्थितियों के लिए जिम्मेंदार है, इस चर्चा में हमारा अनिवार्य सन्दर्भ राज्य ही है जहाँ महिलाओं की ग्रामीण आर्थिक स्थिति के बारे में गम्भीर दुहरापन है और दुविधा है। षाब्दिक स्तर पर समानता और सम्मान के साथ महिला प्रसंग और महिला स्थितियों को अभिव्यक्त किया गया है। उनके साथ आर्थिक न्याय के स्थान पर आर्थिक असमान एवं अत्याचार को विचलित करने वाले प्रस्थिति है।

इन प्रस्थितियों से उबरने के लिए भारतीय सन्दर्भ में राज्य ग्रामीण महिला आर्थिक

सशक्तिकरण का उल्लेख करना आवश्यक है क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात् स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया गया है कि राज्य इन विशम आर्थिक स्थितियों से छुटकारा दिलाने का माध्यम होगा, राज्य उन सब परिस्थितियों में हस्तक्षेप करेगा जो महिलाओं की असमानता और असमानजनक स्थितियों के लिए उत्तरदायी है। यह स्वरूप उन सब सन्दर्भों में उल्लेखनीय हो गया जहाँ आर्थिक समानताओं के लिए उसका हस्तक्षेप आवश्यक था। भारतीय सन्दर्भ में ही एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज को याद करना गलत नहीं होगा। नेहरू के 15 अगस्त 1947 के वक्तव्य में उल्लेख था कि हमारे यहाँ आँसुओं से भरी अनेक आँखे है और उन आँखों से आँसुओं को दूर करना हमारा कर्त्तव्य होगा। हमारा कर्त्तव्य राज्य के सन्दर्भ में महत्त्वपूर्ण है क्योंकि विकासशील देशों के सन्दर्भ में राज्य महत्त्वपूर्ण नियामक और हस्तक्षेप था, जिसकी प्रमुख भूमिका के साथ ही साथ आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य भूमिकाएँ भी थी। वह न केवल विकास की योजनाओं का आयोजक ही था वरन वह विकास की योजनाओं का वितरक भी था। यह अलग विमर्श का विशय हो सकता है कि राज्य को जितने व्यापक और कठोर कदम उठाने चाहिए थे वे कदम वह नहीं उठाने चाहिए थे वे कदम वह नहीं उठा पाया किन्तु आर्थिक क्षेत्र में वह एक हस्तक्षेप और नियामक की भूमिका में तो था ही।

इस पृष्टभूमि में जहाँ महिलाओं की प्रस्थिति विशेशकर ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति जो भारतीय सन्दर्भ में बहुसंख्यक है, उनके अभावों और वंचनाओं का ही विस्तार इस प्रक्रिया में देखा जा सकता है। हमारा अपना प्रयास राजस्थान राज्य की ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण के सन्दर्भ में प्रस्तुत करने का है।

ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्तरः–

आर्थिक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण का विशेश महत्त्व है। आर्थिक क्रियाकलाप का समाज में चहुमुखी विकास में विशेश महत्त्व है। यदि हम आर्थिक रूप से सम्पन्न है तो समाज में सम्मान तो मिलता ही है साथ ही साथ जीवन के अन्य क्षेत्र में से शिक्षा, सांस्कृतिक विकास राजनीतिक भागीदारी मानवतावादी दृष्टिकोण आदि अपनाने में काफी सहायता मिलती है। वर्त्तमान गुण आर्थिक युग हैं हमारे समाज में लगभग 50ः महिलायें ही हैं यद्यपि ग्रामीण एवं षहरी दोनों क्षेत्रों में महिलायें आर्थिक क्रियाकलापों में सक्रिय भूमिका निभा रही है लेकिन आर्थिक प्रशिक्षण के अभाव में उनके अथक श्रम का सदुपयोग नहीं हो पा रहा हैं। यदि महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र में रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाए उनकी क्षमता का सुदपयोग किया जाए तो महिलायें सशक्त होकर अपनी आर्थिक क्षेत्र में भूमिकायें निभा पायेगी। राज्य की कुल जनसंख्या का 75% (प्रतिशत) भाग गाँवों में निवास करता है जिसमें आधी आवादी महिलाओं की है। अतः अर्थव्यवस्था के विकास में इन महिलाओं की प्रभावपूर्ण भागीदारी आवश्यक और अनिवार्य मानी जानी चाहिए।

ज्ञातव्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जीविकोपार्जन का प्रमुख माध्यम यथा कृशि, पशुपालन एवं कृशि से संबंधित अन्य कार्यों में महिलाओं की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं जीवन्त भागीदारी होती है। सरकारी आँकड़ों में भी कृशि व पशुपालन कार्यों में ग्रामीण महिलाओं का योगदान को रेखांकित करते हुए स्पश्ट किया गया है कि देश में खेतिहर मजदूरों व स्वरोजगार में संलग्न व्यक्तियों में आधी संख्या महिलाओं की है। स्पश्ट है कि महिलाएँ किसी भी राश्ट्र एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। ये ग्रामीण महिलाएँ हर कदम, हर राह पर पुरूशों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करती है। खेतों की बुआई में, रोग कीट व खरपतवारों के नियंत्रण में फसलों की सिंचाई व्यवस्था तथा फसलों की कटाई से लेकर खलिहान तक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एक सर्वेक्षण के आधार पर, खेती के कार्यों में महिलाओं का योगदान 55 प्रतिशत से भी अधिक है फूड एंड एग्रीकल्चर आर्गनाइजेशन के एक अध्ययन से स्पश्ट होता है कि जहाँ एक पुरूश प्रति वर्श,

प्रति हैक्टेयर औसतन 1212 घँटे कार्य करता है, वही एक महिला औसतन 3485 घंटे कार्य करती है अगर हम इन ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक रूप से और भी सशक्त बना सके तो यही महिलाएँ अपना एवं अलग अस्तित्व बनाने में सक्षम होगी। यह एक ऐसा अस्तित्व होगा जो उनके परिवार का मार्गदर्शक बनेगा एवं बच्चों की शिक्षा स्तर, स्वच्छता व उनके विकास में अहम भूमिका निभाएगा। किन्तु विश्व विकास के परिप्रेक्ष्य में राज्य को महिलाओं के निम्न स्तर, पुरूश प्रधान समाज, सामन्ती प्रथाएँ एवं मूल्यों जातीय आधार पर घटित सामाजिक ध्रवीकरण, अशिक्षा, दरिद्रता के पर्याय स्वरूप देखा जाता रहा है।

कुछ ग्रामीण महिलाएँ सामाजिक व आर्थिक रूप से अपनी अलग पहचान बनाने में सफल हुई है किन्तु इनकी संख्या नगन्य है। ज्ञातव्य है कि कृशि व पशुपालन कार्यो के संलग्न ये ग्रामीण महिलाएँ निरक्षरता, परम्परागत बंधनों, रूढ़ियों व अंधविश्वासो के चक्रव्यूह में जकड़ी हुई है। इसके साथ ही कृशि, पशुपालन व अन्य पारिवारिक दायित्वों को पूर्ण करने में ही उनका महत्त्वपूर्ण समय व्यतीत हो जाता है। ऐसी स्थिति में निरक्षरता, समयाभाव व रूचि के अभाव होने से ये महिलाएँ उन्नत कृशि उपकरणों, नवीन तकतीकी शिक्षा व ज्ञान से अनभिज्ञ रह जाती है। कारण हमारा पुरूश प्रधान समाज है, जो इन ग्रामीण महिलाओं के श्रम को एक मदद के रूप में वेतनविहिन बना देता है। अर्थात् उनके श्रम को महत्त्व ही नहीं दिया जाता है। जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास व प्रगति में इन महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय है। लेकिन विशेश रूप से दक्षिण ग्रामीण भारत की महिलाओं के तुलनात्मक रूप से पिछड़ी हुई है। दक्षिणी भारत की ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता को सही दिशा में प्रोन्नत करने हेतु उनका सशिक्तिकरण अन्यन्त आवश्यक है।

वर्त्तमान तकनीकी शिक्षा तक पहुँच न हो पाने, शिक्षा के निम्न स्तर, पारिवारिक एवं घरेलू कार्यों का बोझ व निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण अनेक प्रकार के षोशण का दंश झेलने को विवश है। इस प्रकार असंगठित क्षेत्रो तक सीमित रह जाने के कारण ये महिलाएँ न्यूनतम वेतन, मातृत्व व प्रसूति लाभ वैतनिक अवकाश तथा सामाजिक सुरक्षा, योजनाओं से वंचित रह जाती है। वर्त्तमान आँकड़ों के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं का कृशि व उससे संबंधित गतिविधियों में योगदान इस क्षेत्र के रोजगार का 36 प्रतिशत है। इस प्रकार उद्योगों में मात्र 12.42 प्रतिशत है। इस प्रकार ये महिलाएँ असंगठित क्षेत्र में नियोजित है जहाँ उत्पादकता औसत, वेतन कम, षोशण व भेदभाव की लकीरें ज्यादा विद्यमान है। परिवार के भरण पोशण का दायित्व, गरीबी का दंश व मुखिया की निम्न आय, जैसे तत्वों के कारण इन श्रमिक महिलाओं के लिए काम करना मजबूरी बन जाता है अतः इच्छुक होते हुए भी ये ग्रामीण महिलाएँ न तो नवीन प्रोद्योगिकी से जुड़ पाती है न ही शोशण का प्रतिरोध व प्रतिकार कर पाती है। इस संदर्भ में अल्वा मिर्डल तािा वायोला क्लापान ने अपनी पुस्तक "वीमेंन टू रोल्स" में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि "प्रशिक्षण प्राप्त एवं व्यावसायिक धंघो की परिधि में कार्य का वितरण लैंगिक आधार पर हुआ हो, ऐसा दिखाई पड़ता है। महिला स्वातंत्रता का केवल इतना प्रभाव दिखाई देता है कि महिलाओं के क्षेत्र गिने जाते थे, उनमें अकुशल के बदले कुशल एवं प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को स्थान दिया जा रहा है। परम्परा से, जो व्यवसाय पुरूशों के व्यवसाय के रूप में अलग माने जाते थे, उन्हे छोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। यद्यपि कुछ समय से परम्परागत पुरूश क्षेत्र में महिलाओं का छुट–पुट अस्तित्व दिखाई पड़ता है किन्तु उनको पुरूशों की तुलना में महत्त्व नहीं है।

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की दशाः–

ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को जागरूक एवं सतर्कता स्थापित करने हेतु दो तत्व सबसे

अधिक सार्थक भूमिका निभाते है। (अ) शिक्षा (ब) आर्थिक स्वावलम्बन। ये तत्व न केवल इन महिलाओं में स्वाभिमान और आत्मविश्वास पैदा करते है जबकि उन्हें हर दृष्टि से सशक्त और अधिकार सम्पन्न बनाने में भी सहायक है। महिलाएँ जो कि विकास की मुख्य धारा से बाहर है, उन्हे शिक्षित बनाना हमारा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस संबंध में राधाकृश्णन आयोग ने कहा है कि षास्त्रियों कि शिक्षित हुए बिना किसी समाज की प्रगति असम्भव है।

सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गाँवों के सरकारी विद्यालयों के विशेश रूप से स्त्री शिक्षा में व उनकी गुणवत्ता स्तर को बढ़ाने हेतु प्रयास किये जा रहे है किन्तु अभी भी ग्रामीण स्तर तक उनकी पहुँच बहुत ही निम्न है। जिसमें अँग्रेजी, गणित, विज्ञान का स्तर, जो कि षैक्षिक विकास की नींव माना जाता है, षून्य है। जिसके कारण ग्रामीण महिलाएँ षहरी हुई है। उन्हे अपनी षैक्षिक स्थिति को मजबूत करने हेतु व नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए या तो गाँव से पलायन करना पड़ता है। कुछ परिवारों की स्थिति तो इतनी दयनीय होती है कि वे अपनी बालिकाओं को सामान्य शिक्षा भी प्रदान नहीं करवा पाते है। ग्रामीण महिला महिलाओं की वर्त्तमान साक्षरता दर से यह अनुमान भली भाँति लगाया जा सकता है, जहाँ शिक्षा प्रसार हेतु सरकार द्वारा इतने प्रयास किये जाने के बावजूद ग्रामीण महिलाएँ की तुलना में साक्षरता दर मात्र 45.8 प्रतिशत है जो षहरी महिलाओं की तुलना में अत्यन्त कम व षोचनीय स्थिति है।

अतः आज के संदर्भ में यह अत्यन्त आवश्यक है कि मलिहाओं का आर्थिक सशक्तिकरण मजबूत हो जिसके लिए गाँवों के विद्यालय में सामान्य शिक्षा के साथ–साथ व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाये व गरीब परिवारों की बालिकाओं तक उस शिक्षा की पहुँच हो ताकि वे आगे चलकर आर्थिक स्वावलम्बन बन पाये।

आर्थिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र है जहाँ लैंगिक भेदभाव एवं अत्याचार सबसे अधिक है। विडम्बना है कि महिला के नेतृत्व वालो व्यापारी में पैसा लगाने में निवेश्क भी हिचकिचाते है। तथापि महिलाओं के नेतृत्व वाले वित्तीय संसाधनों पर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता है। अर्थात आज आवश्यकता है कि वे ग्रामीण महिलाएँ जो कृशि कार्यों के साथ–साथ अपना स्वयं का व्यवसाय कार्यो में संलग्न है, उन्हें बढ़ावा दिया जाये तथा भेदभाव न करते हुए फंडिंग संसाधनों की जानकारी दी जावे।

गाँवो में अपने रीति–रिवाज होते है तथा साथ ही षहरों की तुलना गाँवों में परिवारों में अधिक जुड़ाव रहता है जहाँ महिलाओं को परम्परा के अन्तर्गत रहना पड़ता है। इन परम्पराओं के रहते इन ग्रामीण महिलाओं को बाहर का कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से करने की आजादी नहीं होती है। ऐसे में हिन्दुस्तान जिंक द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं के आर्थिक तंत्र को मजबूत करने के लिए बनाए गये, उसकी उपयोगिता को घर के मुखिया व बुजुर्गो को गहन रूप से समझाना पड़ा। अपने परम्परागत व्यवसाय से बाहर आने को ये ग्रामीण परिवार तैयार ही नहीं होते है, ऐसे में महिलाओं को बाहर भेजने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अतः इस दिशा में समाज की सोच को परिवर्तित करने हेतु निरन्तर प्रयास अप्रेक्षित है।

ग्रामीण महिला आर्थिक सशक्तिकरण की दिशाः–

उदारीकरण व वैश्वीकरण के युग में आर्थिक विकास की गति को तीव्र बनाये रखना एक चुनौती है। जहाँ कृशि परिस्थितियाँ विशम है महिला विकास आर्थिक दृश्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस आर्थिक विकास की गति को तीव्र बनाये रखने हेतु यह भी उतना आवश्यक है कि इसमें आधी आबादी यानी महिलाओं को भागीदारी बनाये जाये ताकि आश्रित जनसंख्या में कमी हो तथा कार्यशील आबादी का विस्तार हो जो कि अन्ततोंगत्वा राश्ट्रीय सकल उत्पादन

में न केवल वृद्धि करेगा बल्कि राज्य के विकास में गतिशील सुधार करेगा।

इस हेतु आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा आवश्यक है जो–

1. ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी के रूप अपनी भूमिका निभाने हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाये।
2. महिला समूहों एवं सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहन दिया जाये।
3. महिलाओं को अपनी बात कहने व मनवाने की क्षमता को बढ़ाता दिया जाये व उनमें आत्मविश्वास बढ़ाया जाए।
4. प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं प्रबंध में सुधार किया जाये।
5. ग्रामीण महिलाओं के योगदान को मान्यता दी जाये व उन्हें प्रोन्नत किया जाये।
6. महिला उद्यमियों को पर्याप्त रूप से प्रोत्साहन दिया जाये।
7. समान कार्य के लिए समान वेतन तथा कार्य स्थलों पर भेदभाव न बरतने की नीति को प्रोत्साहित किया जाये।
8. औपचारिक संस्थाओं में समय में परिवर्तन की सुविधा दी जाए।
10. कार्य स्थल पर सुरक्षित वातावरण सुजित किया जाए।

निष्कर्ष:–

व्यापक रूप से यह स्वीकार किया जाता है कि ग्रामीण स्तर पर कृशि, पशुओं की देखभाल, वन उत्पादों के संग्रह, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में मजदूर श्रमिक, खाद्य प्रसंस्करण में गृह आधारित कार्य, हस्तकला एवं लघु व्यापार तथा अन्य असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भागीदारी को अनदेखा कर दिया जाता है। गृहस्थी में महिलाओं के सम्पूर्ण योगदान के बावजूद उन्हें प्रायः परजीवी तथा परिवार के अनुत्पादक सदस्य के रूप में माना जाता है। इन ग्रामीण महिलाओं के कार्य की अदृश्यता एवं स्वयं द्वारा अर्जित धनराशि पर उनका नियंत्रण न होने के कारण परिवार, समाज एवं आर्थिक क्षेत्रों में भी महिलाओं की भूमिका को अब तक नगण्य समझा गया है। महिलाओं को मजबूरन अनौपचारिक क्षेत्र में तथा कम कौशल एवं वेतन वाले व्यवसायों के पास करना स्वीकार करना पड़ता है। इन महिलाओं के पास आर्थिक अवसर कम ही होते है और यदि अवसर भी है तो पारिवारिक व सामाजिक बंधनो के रहते हुए इन अवसरों का लाभ नहीं ले पाती है। महिलाओं के लिए सरकार द्वारा संचालित आर्थिक विकास कार्याक्रम भी महिलाओं में कौशल विकास आय अर्जन, आत्मविश्वास पैदा करने, गतिशीलता प्रदान करने व जागरूकता पैदा करने में समग्र रूप से सफल नहीं रहे है। स्पश्ट है कि महिलाओं की षक्ति एवं उनके सामाजिक विश्य का निश्चय उनकी शिक्षा व ज्ञान के माध्यम से बौद्धिक संसाधनों तक उनकी पहूँच सकारात्मक आत्मसम्मान तथा सामूहिक एवं आर्थिक संसाधनों में उनकी सहभागिता के आधार पर किया जा सकता है। इसकी महत्ता को स्वीकार करते हुए सरकार भी महिलाओं को वित्तीय एवं आर्थिक दृश्टि से सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्प है।

अंत टिप्पणीः–

1. कौशिक आशा, 'नारी सशक्तिकरण विमर्श एवं यथार्थ', पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2011
2. मोदी अनिता, 'महिला सशक्तिकरणः विविध आयाम', वाईकिंग बुक्स, 2011
3. प्रकाश रत्न, ''भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास'', अकादमी एक्सेलेंस, 2006
4. राजकुमार, ''महिला एवं विकासीय अर्जुन पब्लिशिंग, दिल्ली
5. खंडेला मानचंद, 'महिला और बदलता सामाजिक परिवेश', आविष्कार पब्लिशर्स